भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *339

(11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय सहायता

***339. श्री राहुल कस्वां:**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषकर निर्माण सामग्री, श्रम और परिवहन की लागत में वृद्धि के दृष्टिगत प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की पर्याप्तता का पुन: मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या रहे;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों की गुणवत्ता, उनके पूरा होने, वास्तविक उपयोग और लाभार्थियों की संतुष्टि के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण में जलवायु-अनुकूल आवास डिजाइन, ऊर्जा दक्षता, वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा और दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत पात्र और वंचित परिवारों की पहचान करने के लिए सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों को अद्यतन करने और डिजिटल सत्यापन के लिए एक नया तंत्र विकसित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख प्रावधान क्या हैं और इस संबंध में क्या अनुमानित समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय सहायता" के संबंध में दिनांक 11.08.2026 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *339 (19 वें क्रमांक) के भाग (क) से (ङ) में उल्लिखित विवरण

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए अनुमोदित इकाई लागत के अनुसार प्रदान की जाने वाली इकाई सहायता के अतिरिक्त, मनरेगा योजना/वीबी जी-राम जी के साथ अभिसरण के माध्यम से प्रत्येक पीएमएवाई-जी लाभार्थी को उनके आवास के निर्माण हेतु प्रचलित मजदूरी दरों पर, स्वीकृत योजना मानकों के अंतर्गत निर्धारित श्रमदिवसों का अकुशल मजदूरी रोजगार प्रदान करने का भी प्रावधान है। शौचालय निर्माण हेतु स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा योजना/वीबी जी-राम जी अथवा किसी अन्य विशेष वित्तपोषण स्रोत के माध्यम से 12,000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जाती है। कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवास निर्माण हेतु पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को इकाई सहायता के अतिरिक्त टॉप-अप वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। अधिक से अधिक परिवार इसकी लागत को वहन कर सके इसके लिए इस योजना में लागत और पर्यावरणीय प्रभाव में कमी लाने हेतु राज्य-विशिष्ट आवास डिजाइनों को शामिल किया गया है तथा स्थानीय सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर), राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) और भारतीय प्रबंधन संस्थान-अहमदाबाद (आईआईएम-ए) जैसी एजेंसियों द्वारा पीएमएवाई-जी के प्रभावों के संबंध में कई मूल्यांकन किए गए हैं, जिनमें नवीनतम अध्ययन आईआईएम-ए द्वारा किया गया है। सभी अध्ययनों में सामान्य रूप से आवास एवं जीवन गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव की सूचना दी गई है।

इस मंत्रालय ने 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी का निष्पक्ष मूल्यांकन कराने हेतु आईआईएम-ए को नियुक्त किया गया था। इस अध्ययन (2026) में पाया गया कि पीएमएवाई-जी ने बेहतर आवास सुरक्षा, बेहतर स्वच्छता, बेहतर स्वास्थ्य परिणामों, अधिक घरेलू आय एवं बचत, आवासहीनता तथा मजबूरीवश प्रवासन में कमी और अधिक वित्तीय समावेशन के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस मूल्यांकन में लाभार्थियों की गरिमा, जीवन की गुणवत्ता तथा समग्र सामाजिक-आर्थिक कल्याण पर भी सकारात्मक प्रभाव देखे गए।

(ग) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, आवास का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं अथवा उसकी देखरेख में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई-जी के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाभार्थियों को स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप, उपयुक्त स्थानीय सामग्री एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, उनके निवास क्षेत्र हेतु उपयुक्त आवास डिजाइनों का

एक संग्रह प्रदान करते हैं। मूल आवास डिजाइन में स्वच्छतापूर्वक भोजन पकाने, शौचालय एवं स्नानघर हेतु विशेष स्थान भी शामिल है। छत एवं दीवार इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह उस स्थान की जलवायु परिस्थितियों को सहन कर सके जहां लाभार्थी निवास करता है, तथा (जहां आवश्यक हो) भूकंप, चक्रवात, बाढ़ आदि को सहन करने हेतु आपदा प्रतिरोधी विशेषताओं को शामिल करे। यह भी वांछनीय है कि आवास डिजाइन में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हों, जिन्हें बाद में संसाधन उपलब्धता के अनुसार लाभार्थी द्वारा जोड़ा जा सकता है:-

क) आजीविका कार्यकलापों हेतु पर्याप्त स्थान;
ख) वर्षा जल संचयन प्रणाली
ग) एक बरामदा
घ) दिव्यांगजन व्यक्ति वाले परिवारों के सुगम आवागमन हेतु रैंप आदि जैसी बाधा-मुक्त डिजाइन।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण आवास टाइपोलॉजी की एक संग्रह पुस्तिका "पहल" प्रकाशित की है, जो पीएमएवाई-जी की कार्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध है। मंत्रालय ने आवास ऐप के माध्यम से लाभार्थी को आदर्श आवास डिजाइन की सिफारिश करने हेतु पहल को डिजिटाइज किया है। मंत्रालय ने आवास सखी नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित की है। इस ऐप के माध्यम से लाभार्थियों को आवास डिजाइन टाइपोलॉजी, स्थानीय रूप से उपलब्ध बीआईएस प्रमाणित निर्माण सामग्री एवं ग्रामीण राजमिस्त्रियों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ) अतिरिक्त पात्र परिवारों की पहचान हेतु, भारत सरकार ने संशोधित बहिष्करण मानकों के साथ ईकेवाईसी चेहरा आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवास+ 2024 परिवार सर्वेक्षण कराए जाने हेतु आवास+ 2024 मोबाइल ऐप शुरू किया है। आवास+ 2024 मोबाइल एप्लिकेशन प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक विशिष्ट ऐप है, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं:-

i. पूर्व-पंजीकृत सर्वेक्षकों के माध्यम से सहायता प्राप्त सर्वेक्षण,
ii. सर्वेक्षकों द्वारा सत्यापित की जाने वाली "स्वयं-सर्वेक्षण" सुविधा
iii. आवास टाइपोलॉजी का चयन,
iv. आधार आधारित ई-केवाईसी चेहरा प्रमाणीकरण,
v. परिवार के डेटा का संग्रहण, मौजूदा आवास की दशा, समयांकित एवं जियो-टैग किए गए मौजूदा आवास तथा प्रस्तावित निर्माण स्थल के फोटो संग्रहण,

vi. यह ऐप ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन मोड में भी कार्य करता है।

आवास+ 2024 परिवार सर्वेक्षण दिनांक 27 दिसंबर 2024 को 31 मार्च 2025 की प्रारंभिक समय-सीमा के साथ आरंभ किया गया था। यह प्रारंभिक समय-सीमा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 30 अप्रैल 2025 तथा 15 मई 2025 तक बढ़ाई गई। इसके पश्चात, जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया, उन्हें सर्वेक्षण कार्य पूरा करने हेतु अतिरिक्त समय दिया गया। वर्तमान में, असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
